सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री निधि नारनोलिया (आर.ए.एस)

वाद संख्या : 32/2013 **निर्णय दिनांकः 04.07.2018**

1. उमराव खां (मृतक)
   1/1.इस्माइल खा. कायम मुकाम उमराव खां
2. शफी मोहम्मद खां पुत्र नसीर खां (मृतक)
   2/1. बसीर खां | पुत्रान शफी मोहम्मद
   2/2. धोले खां |
   निवासीयान ग्राम चांदावास, तहसील आमेर जिला जयपुर।
   2/3. न्यामत पत्नि अलाद्दीन | पुत्रीयां शफी मोहम्मद
   2/4. मु0 बरकत पत्नि निजाम खां |
   निवासीयान ग्राम ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
3. सुवा खां | पुत्रान हबीब खां
4. अफशर खां |

   जातियान मुसलमान निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. शफी खां पुत्र समर खां जाति मुसलमान
   निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. न्यामत बेवा अली मोहम्मद जाति मुसलमान
   निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर
3. मु0 सोनी पत्नी सिकन्दर खां जाति मुसलमान
   निवासी ग्राम ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।
4. मु0 हसीना पत्नी अशफाज जाति मुसलमान
   निवासी ग्राम आंधी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
5. फखरूद्दीन |
6. सुवा खां (मृतक)| पिसरान सम्मद खां
   6/1. मु0 प्रेम पत्नी स्व0 सुवा खां
   6/2. मु0 रूखसाना | पुत्रीयां सुवा खां
   6/3. रूकसीद |
   6/4. समीर | पुत्रान सुवा खां
   6/5. तोयद | (नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता प्रेम)
   निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर
   6/6. मु0 अरफाना पुत्री स्व0 सुवा खां पत्नी शाहरूख खां
   निवासी ग्राम ताला पीरपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
7. मु0 बरकत बेवा सम्मद खां जाति मुसलमान
   निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर
9. बाला | पिसरान करीम खां जाति मुसलमान
10. छोटा |

    निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
11. हमीद खां | पिसरान सुलतान खां जाति मुसलमान
12. आमीन खां | निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर
13. सरदार खां |
14. मु0 मांगी बेवा करीम खां, जाति मुसलमान
    निवासीयान ग्राम ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर
15. अल्लाद्दीन पुत्र करीम खां जाति मुसलमान
16. धोले खां पुत्र सुल्तान खां दत्तक पुत्र अन्नू खां
    निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
17. मु 0 शरीफन बेवा रहमान खां

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

18. सलीम खां पुत्र रहमान खां
19. फकीर खां पुत्र सम्मद खां
निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
20. महमूद खां पुत्र अमीर खां (मृतक) जाति मुसलमान
निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
20/1. हुसैन खां
20/2. हसन खां
20/3. इमरान खां
20/4. इरफान खां
20/5. मु0 खातुन पत्नी स्व0 हुसैन खां।
20/6. रहमती पत्नी नजीर खां
पि0 स्व0 महमूद खां पुत्र अमीर खां समस्त निवासीयान ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
20/7. मु असम्मत पत्नी अमीन पुत्री स्व0 महमूद खां
20/8. मदीना पत्नी महमूद खां
निवासी ग्राम ताला पीरपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
21. राजत खां पुत्र अमीर खां (मृतक)
21/1. ईसब खां
21/2. ईसाब खां
21/3. शकील खां
21/4. दिलशाद
21/5. मु0 न्यामत पत्नी ईसाक
पि0 स्व0 राजत खां समस्त निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
21/6. मु0 हसीना पत्नी लियाकत पुत्री स्व0 राजत खां
निवासी ग्राम आंधी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
21/7. मु0 सीमी पत्नी ईसब पुत्री स्व0 राजत खां
निवासी ताला नामावाली की ढाणी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
22. नजीर खां पुत्र अमीर खां
23. मु0 मरीयम बेवा दाउद खां
24. इस्लाम खां
25. कादर खां
26. हुसैन खां (मृतक)
पुत्रान दाउद खां
26/1. सलमा पुत्री लतीफ बेवा हुसैन खां
26/2. फरीन खां
26/3. अफरीन खां
26/4. अलीशा
पुत्रीयां स्व0 हुसैन खां
निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
27. निजाम खां पुत्र भूरे खां
28. मु0 तोफान बेवा उम्मेद खां
29. सद्दद्दीक खां
30. सिकन्दर खां
पुत्रान उम्मेद खां
31. सलेमान खां पुत्र गुलाब खां (मृतक)
31/1. गुल्ली बेवा सलेमान
31/2. फखरूद्दीन पुत्र सलेमान
31/3. शरीफन पुत्रीयां
31/4. न्यामत पुत्री सलेमान पत्नी अल्लादीन
निवासी ताला नामावाली की ढाणी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
32. ईशाक खां पुत्र आसीन खां।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण की ओर से हस्तगत वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर वर्णित किया गया है कि वे ग्राम चांदावास तह0 आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख. न. 323, 355, 459, 461, 498, 123/897 कुल खसरा किता 6 कुल रकबा 1.41 है0 की सम्पूर्ण भूमि एवं खसरा न0 131 व 551 कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 3.66 है0 के 1/8 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन गलती से राजस्व रिकार्ड में खसरा नं0 323, 355, 459, 461, 498, 123/897, 131, 551 की भूमि सम्मद खां पुत्र महताब खां के नाम चली आ रही है। उक्त वर्णित भूमि जो रिकार्ड में सम्मद खां के नाम से दर्ज चली आ रही है। उस पर उसके (सम्मद खां) के वारिसान जो कि प्रतिवादीगण सं0 5 लगायत 7 है, का कभी कब्जाकाश्त नही रहा। क्योंकि

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

एकीकरण के समय गलती से राजस्व रिकार्ड में समद खां का नाम दर्ज कर दिया गया था जो आज तक चला आ रहा है। लेकिन जबकि उक्त वर्णित भूमि जो कि विवादित भूमि है, पर निरन्तर कब्जाकाश्त वादीगण का चला आ रहा है और लगान के रूपये भी वादीगण देते है, लेकिन रिकार्ड में नाम नही होने से रसीद समद खां के नाम से ही काटी जाती है लेकिन ना तो समद खां के वारिसान जो प्रतिवादी सं0 5, 6, 7 है, के नाम नामान्तकरण आज तक भी खोला गया है ना ही उनका विवादित भूमि पर कभी भी कब्जाकाश्त रहा क्योंकि भूमि का उपयोग–उपभोग सदैव वादीगण द्वारा ही किया जाता रहा है। सजरा खानदान अनुसार उक्त वर्णित भूमि वादीगण सं0 1 व 2 के दादा तथा वादीगण सं0 3 ल0 5 के पडदादा खुदाबक्श की खातेदारी की भूमि थी। खुदाबक्श के चार पुत्र भूरे खां, नसीर खां, अहमद खां व मेहताब खां थे। जिनमें 2 पुत्र भूरे खां व मेहताब खां नाऔलाद फौत हुए थे।जिस पर भूरे खां की पत्नि मु0 अल्लारखी द्वारा सुमर खां के पुत्र शफी खां को गोद लिया जो अब भूरे खां की सम्पति का एकमात्र वारिस बना हुआ है। लेकिन दौराने भूमि एकीकरण गलती से मेहताब खां जो नाऔलाद फौत हुआ था, की भूमि सम्मद खां के नाम रिकार्ड में दर्ज हो गई जो आज तक चली आ रही है, लेकिन भूमि पर प्रतिवादीगण 5, 6, 7 जो कि सम्मद खां के वारिसान है का कोई हक व अधिकार नही है। जब वादीगणों द्वारा उक्त प्रतिवादीगण सं0 5, 6, 7 को भूमि वादीगणों के नाम कराने को कहा गया तो वे मान गए लेकिन प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 की नीयत में खोट आ गया और वे सम्मद खां के नाम अंकित उक्त भूमि को अपने नाम कराने पर आमदा है तथा उक्त भूमि पर वादीगणों के कब्जेकाश्त में निरन्तर हस्तक्षेप व मदाखलत करते चले आ रहे है। जिससे वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर रिकार्ड में प्रतिवादीगण सं0 5 लगायत 7 के पिता के नाम अंकन के स्थान वादीगणों का नाम दर्ज किए जाने बाबत घोषणा का पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी सं0 8 को लैण्ड होल्डर तथा प्रतिवादीगण सं0 9 लगायत 32 को सहकृषक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है जिनसे वादीगण द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा गया है। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 7 बाबत अधिकार घोषणा डिक्री किया जाकर उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आ0 ख0 न0 323, 355, 459, 461, 498, 123/897 कुल खसरा किता 6 कुल रकबा 1.41 है0 का तथा भूमि ख0 न0 131 व 551 कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 3.66 है0 के 1/8 के सन्दर्भ में प्रतिवादीगण सं0 5 लगायत 7 के पिता सम्मद खां के नाम को निरस्त करते हुए वादीगणों के नाम अंकित किया जावे तथा प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे उक्त वर्णित भूमि में वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत ना करे तथा वादीगण के कब्जेकाश्त में कोई हस्तक्षेप ना करें। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये है–

(1) सत्य प्रतिलिपि – जमाबन्दी सम्वत 2057–2060 (प्रदर्श–1)
(2) सत्य प्रतिलिपि – जमाबन्दी सम्वत 2057–60 (प्रदर्श– 2)
(3) सत्य प्रतिलिपि – पटवारी हल्का द्वारा जारी नक्शा ट्रेस दिनांक 114.08.2004 (प्रदर्श– 3)
(4) सत्य प्रतिलिपि – खसरा गिरदावरी सम्वत 2057–60
(5) साक्ष्य शपथ पत्र – शफी मोहम्मद पुत्र नसीर खां (PW-1)
(6) साक्ष्य शपथ पत्र – ईस्माईल खां दत्तक पुत्र उमराव खां (PW-2)
(7) साक्ष्य शपथ पत्र – बशीर पुत्र शफी मोहम्मद (PW-3)
(8) साक्ष्य शपथ पत्र – असाफ खां पुत्र हबीब खां (PW-4)
(9) साक्ष्य शपथ पत्र – तत्कालीन पटवारी हल्का चिताणुकलां श्री हनुमान सहाय गुर्जर (PW-5)

वादपत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत कर अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 व 9 ने वर्णित किया है कि वादपत्र में वादीगणों ने जिस प्रकार से तथ्य अंकित किये है वे गलत एवं असत्य है। उक्त ख0 न0 पर वादीगण ने अपना कब्जा बतलाकर काश्त करना तथ्य अंकित किया है वह तथ्य व विवरण गलत एवं असत्य है। वादीगण आज तक वर्णित खसरा न0 की भूमि पर कभी भी काबिज काश्त नही रहे ना वर्तमान में है बल्कि उक्त ख0 न0 की भूमि से वादीगण का कोई सम्बन्ध आज तक नही रहा है। वादीगण ने गलत तौर पर उक्त वर्णित भूमि के बाबत काबिज होने के तथ्य गलत तौर पर अंकित करते हुए दावा सही तथ्यों को छुपाकर न्यायालय हाजा में पेश किया है जिसके बाबत वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही है क्योंकि उक्त वर्णित भूमि सम्मद खां उर्फ समर खां पुत्र महताब खां की कृषि भूमि है। वादीगण महताब खां व सम्मद खां की सम्पति व कृषि भूमि से कोई सरोकार नही रखते है उक्त वर्णित भूमि के मालिक व काश्तकार एक मात्र स्व0 श्री सम्मद खां उर्फ समर खां पुत्र मेहताब खां थे जिसके नाम से ही उपरोक्त वर्णित भूमि की खातेदारी आज तक चली आ रही है जो प्रतिवादी न0 1 के स्व0 पिता है। जिसके स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादी स0 1 (उसका पुत्र) एवं सम्मद खां के वारिसान प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 होने के कारण से सम्पति वादग्रस्त पर काबिज होकर मालिक है। अन्य किसी का कोई लेना देना वादपत्र में वर्णित सम्पति से नही है ना कभी रहा। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

ख0 न0 131, 551 में प्रतिवादी न0 1 के स्व0 पिता सम्मद खां का 1/8 हिस्सा है। प्रतिवादी न0 1 शफी खां सम्मद खां उर्फ समर खां का पुत्र होने के नाते उसकी कृषि भूमि के 1/8 हिस्सा का मालिक है। यह कहना गलत है कि मु. अल्लारखी द्वारा समर खां के पुत्र प्रतिवादी सं0 1 शफी खां को गोद लिया गया हो बल्कि स्व0 भूरे खां की बेवा अल्लारखी ने प्रतिवादी सं0 1 शफी खां को गोद नही लिया बल्कि स्व0 अल्लारखी बेवा भूरे खां ने भूरे खां की सम्पति के सम्बन्ध में प्रतिवादी सं0 1 शफी खां को अपने जीवनकाल में दिनांक 30.06.1979 के रजिस्टर्ड बख्शीशनामा से सम्पति कृषि भूमि जो बख्शीशनामा में वर्णित है को शफी खां (प्रतिवादी सं0 1) को बख्शीश करते हुए संभला दी । इस प्रकार से प्रतिवादी सं0 1 शफी खां ता0 30.06.79 के बख्शीशनामें के आधार पर स्व0 भूरे खां की पत्नी अल्ला रखी द्वारा बख्शीश की गई कृषि भूमि पर काबिज होकर मालिक है। परन्तु प्रतिवादी न0 1 को कभी भी ना तो भूरे खां ने गोद लिया ना भूरे खां की पत्नी अल्ला रखी ने गोद लिया। वादीगण का यह कहना गलत है कि एकीकरण के समय गलती से उक्त वर्णित भूमि सम्मद खां के नाम रिकार्ड में दर्ज हो गयी, वादीगण का यह कहना भी गलत है कि सम्मद खां उर्फ समर खां की भूमि में प्रतिवादी न0 5 व 7 का कोई हिस्सा हो बल्कि प्रतिवादी सं0 5 से 7 का हिस्सा तो कल्लू खां की कृषि भूमि में है जो भूमि अलग है वादीगण का यह कहना भी गलत है कि विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादी नं0 1 से 4 की नीयत में कोई खोट आ गया हो बल्कि प्रतिवादी सं0 1 से 4 का ही वादग्रस्त भूमि में कब्जा काश्त स्व0 सम्मद खां उर्फ समर खां के समय से चला आ रहा है तथा स्व0 सम्मद खां उर्फ समर खां के वारिसान होने के नाते समर खा की तमाम कृषि भूमि वादग्रस्त का राजस्व रिकार्ड अपने नाम कराने के कानून अधिकारी प्रतिवादी न0 1 से 4 है। प्रतिवादी न0 1 से 4 के अलावा वादग्रस्त भूमि पर ना तो वादीगण का कभी कब्जा रहा ना ही प्रतिवादी सं0 5 से 7 का कभी कब्जा रहा। परन्तु वादीगण व प्रतिवादीगण न0 5 से 7 नाजायज रूप से सांठ गांठ करके गलत तौर पर स्व0 सम्मद खां उर्फ समर खां की उपरोक्त वर्णित भूमि पर कब्जा करना चाहते है, वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित भूमि में कभी भी आज तक वादीगण का ना तो कब्जा रहा ना ही उन्होने कभी काश्त की तथा वर्तमान में भी बाजरा की फसल वादीगण ने नही बल्कि प्रतिवादी न0 1 शफी खां के द्वारा बोई है। प्रतिवादीगण स0 1 से 4 ने किसी प्रकार की कोई धमकी या वादीगण को बेदखल करने का प्रयास नही किया। ना ही कोई वादकारण उत्पन्न हुआ। वाद कारण उत्पन्न न होने के अभाव में दावा वादीगण का खारिज किये जाने योग्य है। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नं0 323, 355, 459, 461, 498, 123/897 के किसी भी प्रकार से प्रतिवादीगण न0 9 से 32 ना तो सहकृषक है ना उनका कब्जा है ना पहले कभी रहा ना उनका मालिकाना अधिकार है इसलिए प्रतिवादीगण न0 9 से 32 किसी भी प्रकार से वादग्रस्त भूमि में सहकृषक आज तक नही रहे है बल्कि उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी न0 1 के स्व0 पिता सम्मद खां उर्फ समर खां की खातेदारी की भूमि एकीकरण से पूर्व से रही है। जिससे प्रतिवादी न0 1 का ही कब्जा व अधिकार है व काबिज काश्त है इसलिए परन्तु वादीगण ने गलत तौर पर प्रतिवादी सं0 9 से 32 को सहकृषक बनाकर यह दावा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में गलत तौर पर प्रस्तुत किया है। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 8 को अनावश्यक रूप से पक्षकार मुकदमा बनाया है। वादीगण उक्त वर्णित के अनुसार कोई अनुतोष मान्य न्यायालय द्वारा जारी कराने के अधिकारी नही है। ना ही वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों के घोषणा कराने के अधिकारी है। क्योंकि उक्त पैरे में वर्णित कृषि भूमि ख0 न0 323, 355, 459, 461, 498, 123/897 के एकमात्र मालिक एकीकरण से पूर्व से ही स्व0 सम्मद खां उर्फ समर खां थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादी न0 1 शफी खां व प्रतिवादी न0 2 ता 4 स्व0 अली मोहम्मद के वारिसान ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है तथा प्रतिवादी न0 1 से 4 का ही कब्जाकाश्त बतौर मालिकाना अधिकार से सम्मद खां उर्फ समर खां के जमाने से चला आ रहा है तथा वादग्रस्त भूमि के एकमात्र मालिक प्रतिवादीगण न0 1 से 4 है तथा वादग्रस्त भूमि किसी भी प्रकार से शामलाती या वादीगण के बुजूर्गान की भूमि नही है बल्कि वादग्रस्त भूमि का एकमात्र मालिक व काबिज खातेदार एकीकरण से पूर्व से ही सम्मद खां उर्फ समर खां रहा है और उसके नाम से ही वादग्रस्त भूमि का वर्तमान में राजस्व रिकार्ड चला आ रहा है तथा प्रतिवादी न0 1 से 4 ही उक्त स्व0 श्री सम्मद खां उर्फ समर खां का पुत्र होने व वारिसान होने के नाते एवं उस पर काबिज होकर उक्त भूमि के एकमात्र मालिक है इसलिए वादीगण किसी भी प्रकार से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मुं ना तो खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी है ना ही प्रतिवादी क्रम 1 से 4 व 9 से 10 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 5 से 7 तो कल्लू खां की सम्पति के मालिक है तथा उक्त कल्लू खां की सम्पति विवादग्रस्त सम्पति से अलग सम्पति है, परन्तु प्रतिवादी न0 5 से 7 ने वादीगण से सांठ गांठ करके राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करके गलत तौर पर प्रतिवादी सं0 1 से 4 की कृषि भूमि जो कि सम्मद खां उर्फ समर खां के नाम की भूमि खं0 न0 323, 355, 459, 461, 498, 123/897 पर जबरदस्ती कब्जा करने पर उतारू है जिसके सम्बन्ध में वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 5 से 7 का

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर, जयपुर

कोई हक व अधिकार व कब्जा नही रहा है ऐसी दशा में वे किसी भी प्रकार से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करने के अधिकारी नही है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण स0 1 लगायत 4 खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब वादपत्र के सन्दर्भ/समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किए गए है–

(1) छाया प्रति– विवादित भूमि के सदंर्भ में प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में फौती नामान्तकरण दर्ज करने के कम में पटवारी हल्का की मौका व रिकार्ड स्थिति रिपोर्ट दिनांक 10.08.2004 (प्रदर्श A–1)

(2) छाया प्रति– बख्शीशनामा दिनांक 30.06.1979 बहक प्रतिवादी स0 1 शफी खां पुत्र समर खां (प्रदर्श A–2)

(3) छाया प्रति– सरपंच ग्राम श्यामपुरा द्वारा जारी कुर्सीनामा दिनांक 15.08.2004 जिसके अनुसार प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 04 की समर खां उर्फ समद खां पुत्र महताब खां के वारिस बताया गया है (प्रदर्श A–3)

(4) छाया प्रति– सजरा बाबत विवादित भूमि के पूर्व खातेदार खुदाबख्श (प्रदर्श A–4)

(5) छाया प्रति– विधानसभा नामावली मतदाता सूची भाग सं0 49 विधानसभा क्षेत्र जमवारामगढ (48) सन 1966 जिसमें समर खां पुत्र महताब खां व समद खां पुत्र कल्लू खां का नाम अंकित है (प्रदर्श A–5)

(6) सत्यप्रतिलिपि– खसरा गिरदावरी सम्वत 2065–2068 (प्रदर्श A–7)

(7) साक्ष्य शपथपत्र– शफी खां पुत्र समर खां

(8) साक्ष्य शपथपत्र– छोटू खां पुत्र स्व0 करीम खां।

प्रतिवादीगण सं0 5, 6, 7 की ओर से जवाब वादपत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया गया है कि भूमि वादग्रस्त खसरा न0 323, 355, 459, 461, 498, 123/997 कुल किता 6 कुल रकबा 1.41 है0 का सम्पूर्ण रकबा एवं ख0 न0 131, 551 कुल किता 2 कुल रकबा 3.66 है0 का 1/8 हिस्सा भूमि वाके ग्राम चांदावास तह0 आमेर जिला जयपुर में स्थित भूमि मेहताब खां के नाऔलाद रहने के कारण गलती से दौराने एकीकरण के समय सम्मद खां के नाम लग गई थी आज भी सम्मद खां पुत्र महताब खां के नाम खातेदारी में चली आ रही है। उपरोक्त भूमि को सम्मद खां के फौत हो जाने के बाद उमराव खां ही बोता जोतता था, और अब उमराव के फौत के बाद इस भूमि को इस्माइल खां पुत्र उमराव खां, सुवा खा, अफसर खां पुत्रान हबीब खां के कब्जेकाश्त में चली आ रही है और इनका ही कब्जा है तथा प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 का विवादग्रस्त भूमि से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है ना ही पहले कभी रहा था। प्रतिवादीगण सं0 5 लगायत 7 ने वाद को वादीगण के नाम डिक्री किये जाने बाबत अनापत्ति व्यक्त की है।

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

1. आया प्रतिवादी 5 लगायत 7 के मुताबिक दावा पर कभी कब्जा काश्त नही था

– वादी

2. आया वादीगण विवादित आराजी ख0 न0 323, 355, 459, 461, 498 व 123/897 सम्पूर्ण तथा आराजी 131, 441 के 1/8 हिस्से प्रतिवादी 5 लगायत 7 की खातेदारी हजफ कराकर अपने नाम इन्द्राज कराने के अधिकारी है

–वादी

3. प्रतिवादी 1 लगायत 7 के विरूद स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है

–वादी

4. आया समद खां मेहताब खा का गोद पुत्र है, अतः महताब की खातेदारी भूमी का अधिकारी तथा विवादित भूमि पर प्रतिवादी 1 लगायत 4 का कब्जा है तथा प्रतिवादी समद खां के वारिसान होने से विवादित भूमि के खातेदार है।

–प्रतिवादी स0 1 लगायत 4

5. आया प्रतिवादी 5 लगायत 7 कल्लू खां की सम्पति के मालिक है।

–प्रतिवादी स0 1 लगायत 4

6. अनुतोष ?

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी, तथ्यो पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रकरण का तनकीवार निस्तारण निम्न प्रकार है–

तनकी सं0 1.– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कब्जाकाश्त अथवा खातेदारी नही थी अपितु वादीगण अथवा इनके पूर्वजो की रही है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

...क्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
...ट्रेक) आमेर मु., जयपुर

तनकी सं0 2.– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा ऐसा कोई मान्य दस्तावेज अथवा कोई पूर्व रिकार्ड प्रस्तुत नही किया है। जिससे यह सिद्ध हो सके कि एकीकरण से पूर्व भूमि वादीगण के नाम थी। जो एकीकरण के समय गलती से प्रतिवादी सम्मद खां के नाम लग गई है। जिससे वादीगण प्रतिवादी सम्मद खां के नाम अंकन को हजफ आकर अपने नाम कराने के अधिकारी है। अतः तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं0 3.– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। चूंकि तनकी सं0 1 व 2 वादीगण के विरूद्ध तय की गई। अतः यह तनकी भी स्वतः ही वादीगण के विरूद्ध तय सिद्ध होती है।

तनकी सं0 4.– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण स0 1 लगायत 04 पर है। उक्त प्रतिवादीगण द्वारा समद खां के मेहताब खां का गोद पुत्र होने सम्बन्धी कोई मान्य दस्तावेजी साक्ष्य अथवा अन्य किसी प्रकार की साक्ष्य भी प्रस्तुत नही की है। जिससे यह सिद्ध हो सके कि सम्मद खां मेहताब खां का गोद पुत्र है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण 01 लगायत 04 के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं0 5.– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 पर है। उक्त प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श A–5 से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण 5 लगायत 7 के पूर्वज कल्लू खां थे तथा स्वयं वादी ने अपने साक्ष्य PW-1 में स्वयं स्वीकार किया है कि सम्मद खां कल्लू खां का पुत्र था। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के पक्ष में तय की जाती है।

6.3. तोष–

अतः चूंकि तनकी सं0 1 लगायत 3 का निस्तारण वादीगण के विरूद्ध किया गया है तथा तनकी सं0 4 का निस्तारण प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 के विरूद्ध किया गया है तथा तनकी सं0 5 का निस्तारण प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 के पक्ष में किया गया है। इस प्रकार चूंकि वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे अपने कथनों को सिद्ध करने का भार वादीगण पर होता है। जिसके क्रम में वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में मूल खातेदारान के नाम की कोई जमाबन्दी अथवा अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है ना ही वादीगण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि एकीकरण से पूर्व विवादित भूमि किसके नाम थी जो कि एकीकरण के समय गलती से सम्मद खां के नाम लग गई हो तथा इसके अतिरिक्त स्वयं वादी द्वारा अपनी जिरह में यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादीगण सं0 5 लगायत 7 का पिता सम्मद खां नही होकर कल्लू खां था। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वाद वादीगण स्वीकार किया जाना सिद्ध प्रतीत नही होता है इसके साथ ही तहसीलदार रिपोर्ट प्रदर्श A–1 व मतदाता सूची नामावली प्रदर्श A–5 के अनुसार भी समर खां की वल्दियत महताब खां एवं प्रतिवादीगण सं0 5 लगायत 7 की वल्दियत कल्लू खां सिद्ध होती है। अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये वाद वादीगण सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है।

तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) आमेर मु॰ जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री निधि नारनोलिया (आर.ए.एस)

वाद संख्या : 32/2013 **निर्णय दिनांकः 04.07.2018**

1. उमराव खां (मृतक)
   1/1.इस्माइल खा. कायम मुकाम उमराव खां
2. शफी मोहम्मद खां पुत्र नसीर खां (मृतक)
   2/1. बसीर खां | पुत्रान शफी मोहम्मद
   2/2. धोले खां |
   निवासीयान ग्राम चांदावास, तहसील आमेर जिला जयपुर।
   2/3. न्यामत पत्नि अलाद्दीन | पुत्रीयां शफी मोहम्मद
   2/4. मु0 बरकत पत्नि निजाम खां |
   निवासीयान ग्राम ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
3. सुवा खां | पुत्रान हबीब खां
4. अफशर खां |

   जातियान मुसलमान निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. शफी खां पुत्र समर खां जाति मुसलमान
   निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. न्यामत बेवा अली मोहम्मद जाति मुसलमान
   निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर
3. मु0 सोनी पत्नी सिकन्दर खां जाति मुसलमान
   निवासी ग्राम ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज0।
4. मु0 हसीना पत्नी अशफाज जाति मुसलमान
   निवासी ग्राम आंधी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
5. फखरूद्दीन |
6. सुवा खां (मृतक) | पिसरान सम्मद खां
   6/1. मु0 प्रेम पत्नी स्व0 सुवा खां
   6/2. मु0 रूखसाना | पुत्रीयां सुवा खां
   6/3. रूकसीद |
   6/4. समीर | पुत्रान सुवा खां
   6/5. तोयद | (नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता प्रेम)
   निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर
   6/6. मु0 अरफाना पुत्री स्व0 सुवा खां पत्नी शाहरूख खां
   निवासी ग्राम ताला पीरपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
7. मु0 बरकत बेवा सम्मद खां जाति मुसलमान
   निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर
9. बाला | पिसरान करीम खां जाति मुसलमान
10. छोटा |

    निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
11. हमीद खां | पिसरान सुलतान खां जाति मुसलमान
12. आमीन खां | निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर
13. सरदार खां |
14. मु0 मांगी बेवा करीम खां, जाति मुसलमान
    निवासीयान ग्राम ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर
15. अल्लाद्दीन पुत्र करीम खां जाति मुसलमान
16. धोले खां पुत्र सुल्तान खां दत्तक पुत्र अन्नू खां
    निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
17. मु 0 शरीफन बेवा रहमान खां
18. सलीम खां पुत्र रहमान खां
19. फकीर खां पुत्र सम्मद खां
    निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) आमेर मु. जयपुर

20. महमूद खां पुत्र अमीर खां (मृतक) जाति मुसलमान
निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
20/1. हुसैन खां
20/2. हसन खां
20/3. इमरान खां
20/4. इरफान खां
20/5. मु0 खातुन पत्नी स्व0 हुसैन खां।
20/6. रहमती पत्नी नजीर खां
पि0 स्व0 महमूद खां पुत्र अमीर खां समस्त निवासीयान ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
20/7. मु असम्मत पत्नी अमीन पुत्री स्व0 महमूद खां
20/8. मदीना पत्नी महमूद खां
निवासी ग्राम ताला पीरपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
21. राजत खां पुत्र अमीर खां (मृतक)
21/1. ईसब खां
21/2. ईसाब खां
21/3. शकील खां
21/4. दिलशाद
21/5. मु0 न्यामत पत्नी ईसाक
पि0 स्व0 राजत खां समस्त निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
21/6. मु0 हसीना पत्नी लियाकत पुत्री स्व0 राजत खां
निवासी ग्राम आंधी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
21/7. मु0 सीमी पत्नी ईसब पुत्री स्व0 राजत खां
निवासी ताला नामावाली की ढाणी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
22. नजीर खां पुत्र अमीर खां
23. मु0 मरीयम बेवा दाउद खां
24. इस्लाम खां
25. कादर खां
26. हुसैन खां (मृतक)
पुत्रान दाउद खां
26/1. सलमा पुत्री लतीफ बेवा हुसैन खां
26/2. फरीन खां
26/3. अफरीन खां
26/4. अलीशा
पुत्रीयां स्व0 हुसैन खां
निवासी ग्राम चांदावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
27. निजाम खां पुत्र भूरे खां
28. मु0 तोफान बेवा उम्मेद खां
29. सद्वद्दीक खां
30. सिकन्दर खां
पुत्रान उम्मेद खां
31. सलेमान खां पुत्र गुलाब खां (मृतक)
31/1. गुल्ली बेवा सलेमान
31/2. फखरूद्दीन पुत्र सलेमान
31/3. शरीफन पुत्रीयां
31/4. न्यामत पुत्री सलेमान पत्नी अल्लादीन
समस्त निवासीयान ग्राम ताला नामावाली की ढाणी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
32. ईशाक खां पुत्र आसीन खां।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में मूल खातेदारान के नाम की कोई जमाबन्दी अथवा अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है ना ही वादीगण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि एकीकरण से पूर्व विवादित भूमि किसके नाम थी जो कि एकीकरण के समय गलती से सम्मद खां के नाम लग गई हो तथा इसके अतिरिक्त स्वयं वादी द्वारा अपनी जिरह में यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादीगण सं0 5 लगायत 7 का पिता सम्मद खां नही होकर कल्लू खां था। इसके साथ ही तहसीलदार रिपोर्ट प्रदर्श A–1 व मतदाता सूची नामावली प्रदर्श A–5 के अनुसार भी समर खां की वल्दियत महताब खां एवं प्रतिवादीगण सं0 5 लगायत 7 की वल्दियत कल्लू खां सिद्ध होती है। जिससे वादीगण प्रतिवादीगण के पूर्वज सम्मद खां के नाम के अंकन को हजफ कराकर अपने नाम कराने के अधिकारी साबित नही होते है। अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये वाद वादीगण सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है।

दस्तखत——
ओहदा——

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
फास्ट ट्रैक आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बवत् इजराय हुक्मानामा			बवत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	2 रूपय		मुतफरित		
मीजान			मीजान		